

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

बनाम सरदार
 म. मुकदमा इजराय
 नं. 64 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

15 ⁴/₂₄

इजराय शर्कत पत्र जारी मशाल की कोर से श्री अनिल शर्कतपाल एडवोकेट क्लर क्लर किया गया। रिपोर्ट सरिल का डायलोग किया गया। इजराय शर्कत पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पारिल निर्णय श्री पालना हेतु TDR दीगोद को पत्र जारी है। फिल वारुते पालना रिपोर्ट उत्तर के दिनांक 4-6-24 को पेश है।

[Signature]

4 ⁶/₂₄

पत्रावली बण हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पाठसीन अधिकारी व गणकार्य में व्यस्त होय से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्वत दिनांक को पेश ह्ये।

31/07/25

31 ⁷/₂₅

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपो। इजराय पालना प्राप्त हुई। जो शामिल जाइल की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। सेट्टा से काम की जाकर वाखिल यमल है।

[Signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा राज0
मि0नं0 दर्ज दिनांक तारीख फैसला
156 / 23 03.01.2024 22.02.2024
पीठासीन अधिकारी - विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
उनवान

1- भेरूलाल आत्मज प्रभूलाल जाति नाथ निवासी ग्राम मोरपा तहसील
दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से:- श्री अनिल खण्डेलवाल एड0
प्रतिवादी की ओर से-तहसीलदार दीगोद

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी.एक्ट बाबत नाम दुरुस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है:-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि :-

1- यह कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान
के शामलाती खाते खाता नं0 209 नया, पुराना 198 पर खसरा नम्बर 310 की 1.53
हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। नकल
जमाबन्दी सम्बत 2075-2078 सलग्न है।

2- यह कि वादी का नाम भेरूलाल आत्मज प्रभु है, वादी के पहचान
पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, में वादी का नाम भेरूलाल आत्मज प्रभु ही अंकित
है किन्तु उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम भेरुनाथ आत्मज प्रभु अंकित हो गया है
जो गलत है। इस कारण वादी को ऋण व खाद बीज आदि व सरकारी योजना का
लाभ लेने में परेशानी आ रही है इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम
भेरुनाथ आत्मज प्रभु के स्थान पर भेरूलाल आत्मज प्रभु अंकित किया जाना
आवश्यक है।

3- यह कि उपरोक्त कारण से ग्राम मोरपा के राजस्व रिकार्ड में वादी
का नाम भेरुनाथ के स्थान पर भेरूलाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया
जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया
तथा अन्त में दिनांक 13.12.2023 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं
दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो
गया है।

4- यह कि वाद कारण प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में
वादी का नाम गलत दर्ज कर दिये जाने के कारण व दिनांक 19.12.2023 को वादी
का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

5- यह कि प्रतिवादी राजस्थान सरकार भूमि की लेण्ड होल्डर होने से
उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी
के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:-

फांटे पुरि प्रमाणित

सहायक कलक्टर

दीगोद जिला कोटा (राज.)

की जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।
1- कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 310 की 1.53 हेक्टर भूमि में वादी का नाम भेरुनाथ के स्थान पर भेरुलाल दर्ज किये जाने की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये:-


- 1- नकल जमाबन्दी याग मोरपा सम्बत 2075-2078
- 2- फोटो प्रति आधार कार्ड
- 3- फोटो प्रति राशन कार्ड
- 4- फोटो प्रति पहचान पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलद दीगोद में अपने जवाब में वादी का नाम पटवारी हल्का मोरपा की रिपोर्ट अनुसार भेरुनाथ पुत्र प्रभु व भेरुलाल पुत्र प्रभु दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना प्रमाणित किया है।


वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार होने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 310 की 1.53 हेक्टर भूमि में खातेदार का नाम भेरुनाथ पुत्र प्रभु के स्थान पर भेरुलाल पुत्र प्रभु दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
दीगोद

फोटो प्रति प्रमाणित


सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

डिकी मुकदमा

(आ० 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा राज०
पीठासीन अधिकारी - विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1- भेरूलाल आत्मज प्रभूलाल जाति नाथ निवासी ग्राम मोरपा तहसील
दीगोद जिला कोटा राज०

(वादी)

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से - श्री अनिल खण्डेलवाल एड०

प्रतिवादी की ओर से - तहसीलदार दीगोद

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी.एक्ट बाबत नाम दुरुस्ती

मिसल नम्बर - 156/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :- वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 310 की 1.53 हेक्टर भूमि में खातेदार का नाम भेरुनाथ पुत्र प्रभु के स्थान पर भेरूलाल पुत्र प्रभु दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर आदालत से आज दिनांक 22.02.2024 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत०	0	0	मुत०	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद

कोटा प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज०)